FTS!-23025

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्रांक– ग्रेनो / बिल्डर्स / 2020 / 850
दिनांक 18 मार्च, 2020

कार्यालय–आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बिल्डर्स आवासीय / ग्रुप हाउसिंग एवं वाणिज्यिक परिसम्पत्तियों के डिफॉल्टर आवटियों हेतु प्राधिकरण की 116वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.11.2019 के अनु0–03–116 / 6 में प्राप्त अनुमोदन के कम में कार्यालय आदेश संख्या– ग्रेनो / बिल्डर्स / 2019 / 311, दिनांक 17.12.2019 के द्वारा रि–शिडयूलमेंट की नीति निर्धारित की गयी है ।

उपरोक्तानुसार पूर्व में अनुमोदित रि–शिडयूलमेंट नीति में प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.02.2020 के अनु0–03–117 / 7 में प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में रि–शिडयूलमेंट नीति में प्रस्तर (xi) के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन अनुमोदित किया गया है:–

i) जिन आवंटियों द्वारा वर्तमान तक नक्शा पास नहीं कराया गया है, उन्हें रि–शिडयूलमेंट की सुविधा इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि –

a) आवंटी को आवेदन के साथ उक्त बिन्दु vii) में निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त बकाया अतिदेय धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि आवेदन के साथ और जमा करनी होगी।

b) वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार एस्को एकाउंट में प्राधिकरण की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत का 28.57 प्रतिशत निर्धारित है । ऐसे प्रकरणों में एस्को एकाउंट में प्राधिकरण की हिस्सेदारी 28.57 के स्थान 70 प्रतिशत का 70 प्रतिशत होगा और तदानुसार ही आवंटी को एस्को एकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यदि किसी प्रकरण में आवंटी बड़े डिफॉल्टर हैं तो उन प्रकरणों में केस–टू–केस के आधार पर उक्त प्रस्तावित 70 प्रतिशत हिस्सेदारी से अधिक हिस्सेदारी निर्धारित करने का निर्णय महाप्रबन्धक (वित्त) द्वारा लिया जायेगा ।

शेष नियम व शर्तें पूर्ववत ही रहेंगी।

(कृष्ण कुमार गुप्त)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि–

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी) को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. विशेष कार्याधिकारी (बिल्डर्स / वाणिज्यिक)
5. प्रबंधक, सिस्टम को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार नीति प्राधिकरण की बेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

13.3.2020

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी